मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2007 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 2007 (चैत्र 9, 1929)

समय प्रातः 9.00 बजे

1. निधन उल्लेख

डॉ. सवाई सिंह सिसोदिया, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार थाना गैसाबाद गोली चालन जांच आयोग का प्रतिवेदन दिनांक 23 फरवरी, 2006 द्वारा श्रीमती मीना भट्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह, शासन के संकल्प सहित पटल पर रखेंगे.

(2) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित (समापनांतर्गत) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 (दिनांक 19-1-2005 से 18-1-2006 तक) पटल पर रखेंगे.

(3) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(4) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 31 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2005-2006 पटल पर रखेंगे.

(5) सुश्री कुसुम सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-3-2006-छब्बीस-2, दिनांक 5 जनवरी, 2007; तथा

(ख) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त निःशक्तजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006, पटल पर रखेंगी.

(6) श्री रुस्तम सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) (एफ) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 पटल पर रखेंगे.

(7) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान अधिनियम, 1990 (क्रमांक 15 सन् 1990) की धारा 36 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री सत्यदेव कटारे, श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, भिण्ड, मुरैना एवं पन्ना जिले में ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले में आदिवासियों की भूमि के पट्टे निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम दबियागोविन्द में स्कूल भवन को विस्फोटक सामग्री से उड़ाने का प्रयास किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री शिवराज शाह "शिवा भैया",सदस्य, मंडला जिले के रंगरेज घाट पर पुल निर्माण हेतु ठेका निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री राजेश पटेल, सज्जन सिंह वर्मा, सत्यदेव कटारे, सदस्य, रायसेन जिले के उदयपुरा क्षेत्र में राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर प्रकरण बनाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री इन्द्रजीत कुमार, हुकुमचन्द यादव, गिरिराज मण्डलोई, सदस्य, होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पद एक ही संवर्ग में कायम किये जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य, सागर जिले के जैसीनगर जनपद के अंतर्गत कला मंडलियों को राशि न मिलने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री उमाशंकर गुप्ता, भक्तपाल सिंह, सदस्य, भोपाल के मालवीय नगर में नजूल भूमि का अवैध आवंटन होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, भोपाल में ब्यूटी एवं मसाज पार्लर की आड़ में जिस्म फरोशी का कारोबार होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री अजय सिंह "राहुल भैया", उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में सर्वशिक्षा अभियान की किताबें कबाड़ी को बेची जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री रामनिवास रावत, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री आरिफ अकील, सदस्य, प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेजों द्वारा इंडियन नर्सिंग कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति न किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री राजेश पटेल, रामलखन शर्मा, सदस्य, भोपाल जिले के ग्राम पड़रिया में कृषक के साथ मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) डॉ. गोविन्द सिंह, डॉ. सुनीलम्, कुंवर विजय बहादुर सिंह बुंदेला, सदस्य, छतरपुर के बकायन खिड़की मोहल्ला में बारातियों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सर्वश्री रविन्द्र सुका महाजन, सत्यदेव कटारे, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में पेयजल परीक्षण किट्स के क्रय में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) सर्वश्री दिलीप भटेरे, बोध सिंह भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के महाराष्ट्र सीमा पर छोटी बाग नदी पर बने केटीवियर्स से कई गांव डूब में आने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य, बैतूल जिले के सालबर्डी में एक युवक पर प्राण घातक हमला किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री जगन्नाथ सिंह, सदस्य, बालाघाट जिले में वन विकास अधिकरण योजना के तहत रोजगार कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य, सागर जिले के कबूलापुरा-मोती नगर सड़क निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज द्वारा चिकित्सक पर केरोसिन डालकर जलाये जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(21) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम नयापुरा में चिकित्सा के अभाव में मौत की घटना होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री सत्यदेव कटारे, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री आरिफ अकील, सदस्य, मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित डिग्री को निरस्त किये जाने की अनुशंसा किये जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल के कमला नगर थानान्तर्गत क्षेत्र में पत्रकार पर हमले से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य, भिण्ड जिले में रेत ठेकेदारों द्वारा रायल्टी कर की चोरी किये जाने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्रीमती सुधा जैन, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का बयालीसवां, तैंतालीसवां, चवालीसवां, पैंतालीसवां, छियालीसवां, सैंतालीसवां, अड़तालीसवां, उनचासवां, पचासवां, इक्यावनवां, बावनवां एवं तिरपनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

6. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री नरेश दिवाकर (डी.एन), सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाय".

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य, सीधी जिले के -

(क) ग्राम खेखड़ा टोला पाल में विद्युतीकरण कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम सगनरा के पलहवा टोला एवं परसिंधवा टोला मे विद्युतीकरण कराये जाने,

(2) श्री राजेश पटेल, सदस्य, भोपाल शहर के वार्ड क्र. 22 में पाईप लाईन बदलने तथा पर्याप्त जल की व्यवस्था करने,

(3) श्री ताराचन्द बावरिया, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के परासिया नगर में उप-जेल स्थापित किये जाने,

(4) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा), सदस्य, बालाघाट जिले के -

(क) ग्राम लिंगमारा को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम रामपायली को पर्यटन क्षेत्र घोषित कराये जाने,

(5) श्री बृजेन्द्र प्रताप, सदस्य, पन्ना जिले के -

(क) ग्राम बछौन स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ख) ग्राम पंचायत नांदचांद में कुन्दहा नाला पर स्टाप डेम बनाये जाने, तथा

(ग) बरगी व्यपवर्तन योजना के कमाण्ड क्षेत्र में शाहनगर को शामिल किये जाने,

(6) श्री रामलाल रौतेल, सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम दुलहरा, पिपरिया, कांसा, पगना एवं गोबरी तक पहुंच मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने, एवं

(7) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, भोपाल शहर के लक्ष्मी टाकीज से जुमेराती जनकपुरी तक अतिक्रमण हटाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 14 सन् 2007) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल द्वारा लौटाये गये मध्यप्रदेश निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 (क्रमांक 22 सन् 2003) पर पुनर्विचार किया जाय.

(3) श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री रुस्तम सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन)
30 मि. विधेयक, 2007 (क्रमांक 7 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक,
30 मि. 2007 (क्रमांक 8 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(6) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 9सन्
30 मि. 2007) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(7) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन)
30 मि. विधेयक, 2007 (क्रमांक 10 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(8) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि महर्षि पतञ्जलि संस्कृत संस्थान विधेयक, 2007 (क्रमांक 12 सन्
1 घन्टा 2007) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(9) श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)
1 घन्टा विधेयक, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(10) श्री राघवजी, बीस सूत्र कार्यान्वयन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल
30 मि. अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन संशोधन विधेयक, 2007 (क्रमांक 11 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(11) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 14 सन् 2007) पर
30 मि. विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. अशासकीय संकल्प

(1) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
45 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मीणा, दहायत एवं कोटवार जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जाय".

(2) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी :-
45 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के प्रत्येक जिला चिकित्सालय में चिल्ड्रन नर्सरी (बच्चा वार्ड) स्थापित किया जाय".

(3) सर्वश्री उमाशंकर गुप्ता, सत्यदेव कटारे, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
1 घन्टा "सदन का यह मत है कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य चुनी हुई ग्राम पंचायतों के माध्यम से किये जायं".

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 29 मार्च, 2007